

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर
क्रमांक-न-5(5)पु.फो./उ.नि./अनु.-3/2010/पार्ट-3/ 804

दिनांक- 11 फरवरी 2015

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वर्ष 2010 की विज्ञप्ति संख्या-4/परीक्षा-'ख'/उ.नि.पु./ 2010-11/69140 दिनांक 25.11.2010 के क्रम में आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरान्त उप निरीक्षक/ प्लाटून कमाण्डर (सीधी भर्ती) हेतु सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 17 से 21 तक के अन्तर्गत तथा नियमों की अनुसूची में निहित शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन आदि की समस्त शर्तों की पूर्ति कर लेने एवं शासन उप सचिव गृह-(ग्रुप-1)विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प-2(91)गृह-1/2002 दिनांक 28.07.2008 द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप निम्न अभ्यर्थियों को प्लाटून कमाण्डर (आरएसी) के पद पर राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में दिनांक 09.03.2015 को उपस्थिति देने पर परिवीक्षा अवधि दो वर्ष के दौरान पे-बेण्ड-2- 9300-34800 ग्रेड पे-4200 के लिए स्थिर पारिश्रमिक रूपये 13320/- प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	मेरिट नम्बर	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	वर्ग	नियुक्ति वर्ग	गृह जिला	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता
1.	301	सुरेश कुमार शर्मा/ हरिराम शर्मा	सामान्य	पीसी सामान्य	अलवर	22-Feb-87	बी.ए.
2.	313	महेश कुमार कारवाल/ श्रवण कुमार कारवाल	सामान्य	पीसी सामान्य	सीकर	25-Apr-84	बी.ए.
3.	318	सुरजीत कुमार/धनराज	सामान्य	पीसी सामान्य	चूरू	26-Jan-86	बी.ए.
4.	324	संजय सिंह/ जीतू सिंह	सामान्य	पीसी सामान्य	चूरू	21-Mar-88	बी.ए.
5.	332	रविन्द्रपाल सिंह/ उम्मेद सिंह	सामान्य	पीसी सामान्य	जोधपुर	27-Sep-88	बी.ए.
6.	338	भवानी सिंह/ भीव सिंह	सामान्य	पीसी सामान्य	सीकर	15-Aug-87	बी.ए.
7.	340	श्रवण लाल शर्मा/ हरपाल शर्मा	सामान्य	पीसी सामान्य	दौसा	19-Aug-88	बी.एससी.
8.	343	दिलीप सिंह खंगारोत/ भवानी सिंह खंगारोत	सामान्य	पीसी सामान्य	अजमेर	14-Apr-87	बी.ए.
9.	356	घासीलाल कुमावत/ भंवरलाल कुमावत	ओबीसी	पीसी सामान्य	टोक	26-Jan-81	बी.ए.
10.	359	दीनदयाल वैष्णव/ रामकुमार वैष्णव	ओबीसी	पीसी ओबीसी	अजमेर	01-Jan-83	बी.ए.
11.	361	श्रवणलाल बिश्नोई/ गोपीराम बिश्नोई	ओबीसी	पीसी ओबीसी	बीकानेर	20-Jul-85	बी.ए.
12.	363	गुलाम नबी/ हसन मोहम्मद	ओबीसी	पीसी ओबीसी	सीकर	01-Aug-82	बी.एससी.

क्र.स.	मेरिट नम्बर	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	वर्ग	नियुक्त वर्ग	गृह जिला	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता
13.	1113	हीरालाल मीणा/ पितराम मीणा	एसटी	पीसी एसटी	करौली	10-Jan-89	बी.ए.
14.	1123	घासीराम मीणा/ नाथूराम मीणा	एसटी	पीसी एसटी	जयपुर	06-Jan-85	बी.ए.
15.	1125	मनोज कुमार मीणा/ कैलाश चन्द मीणा	एसटी	पीसी एसटी	करौली	19-Sep-86	बी.ए.
16.	1139	महावीर प्रसाद डेबाणा/ रामगोपाल	एससी	पीसी एससी	सीकर	13-Oct-88	बी.ए.
17.	1140	बिशन सहाय/ मदनलाल	एससी	पीसी एससी	सीकर	15-Jul-82	बी.ए.
18.	1141	बलवन्त कुमार/ बृजलाल	एससी	पीसी एससी	हनुमानगढ	07-Jun-85	बी.ए.
19.	1143	सुरेश कुमार रोलन/ भागचन्द रोलन	एससी	पीसी एससी	सीकर	26-Jan-87	बी.ए.
20.	1314	सुषमा कुमारी/ रोहिताष सिंह शेखावत	सामान्य महिला	पीसी सामान्य महिला	चुरू	04-Sep-88	बी.एससी.
21.	1315	डिम्ल कुंवर देवड़ा/ भंवर सिंह	सामान्य महिला	पीसी सामान्य महिला	सिरोही	15-Aug-85	बी.ए.
22.	1320	एकता हाड़ा/यशवन्त सिंह हाड़ा	सामान्य महिला	पीसी सामान्य महिला	कोटा	19-Aug-90	बी.ए.
23.	1321	जाहिदा/ अब्दुल कलाम खान	सामान्य महिला	पीसी सामान्य महिला	अजमेर	27-Apr-86	बी.ए.
24.	1346	बिमला कुमारी बुडानिया/ ओम प्रकाश बुडानिया	ओबीसी महिला	पीसी ओबीसी महिला	चुरू	01-Jun-81	बी.ए.
25.	1678	अनिता वर्मा/ रामसहाय वर्मा	एससी महिला	पीसी एससी महिला	कोटा	08-Oct-84	बी.ए.

परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त पे-बेण्ड 9300-34800 एवं ग्रेड पे-4200 में अन्य भत्तों के साथ नियुक्ति प्रदान की जावेगी। नव नियुक्त कर्मचारियों का परिवीक्षा काल संतोषप्रद होने के पश्चात नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति की दिनांक से राजस्थान अंशदायी पेंशन नियम 2005 (प्रभावी दिनांक 01.01.04) के तहत अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.04 से पूर्व ही राजस्थान सरकार की सेवा में नियोजित है, उनके लिए विकल्प है कि वे राजस्थान सिविल सेवा(पेंशन)नियम,1996 के तहत पेंशन परिलाभों हेतु विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस आदेश के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी को बन्ध-पत्र (AGREEMENT) व शपथ पत्र के प्रोफार्मा एवं ज्वॉइनिंग निर्देश की एक-एक प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह ज्वॉइनिंग निर्देशों का अध्ययन कर उनकी पालना कर ज्वॉइनिंग करने हेतु उपस्थित होगा। अभ्यर्थी रुपये 5/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार बॉर्ड (बन्ध-पत्र) भरकर अपनी उपस्थिति देगा। बन्ध-पत्र पर अभ्यर्थी के पुनः हस्ताक्षर महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, जोधपुर के समक्ष कराए जाकर सत्यापित किए जाएंगे। शपथ पत्र

रूपये 10/-के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। शपथ-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा।

जो अभ्यर्थी निश्चित दिनांक तक प्रशिक्षण संस्थान पर उपस्थित नहीं होंगे उनके बारे में यह मान लिया जाएगा, कि वे नौकरी करने के इच्छुक नहीं हैं एवं इस दिनांक के तुरन्त पश्चात् ही उनके आदेश निरस्त कर दिये जाएंगे तथा उनके स्थान पर अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी।

उपरोक्त नियुक्तियां प्रोविजनल आधार पर प्रदान की जा रही है जो माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट संख्या-5751/13, 1001/2014, 1844/2014, 1602/2014, 4097/2014 एवं 4556/2013 के निर्णय के अध्याधीन होगी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, वह मान्य होगा।

ई.ओ.बी. नं.: 87/ 2015

(डॉ. प्रशाखा माथुर)
महानिरीक्षक पुलिस,
मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. उप शासन सचिव, गृह-(गुप-1)विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक प-2(91) गृह-1/2002 दिनांक 28.07.2008,के क्रम में।
3. अति. महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण)/पुनर्गठन/ आर्म्ड बटालियन्स, राजस्थान जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर।
5. महानिरीक्षक पुलिस आरएसी, राजस्थान जयपुर।
6. प्रधानाचार्य आर.पी.टी.सी. जोधपुर को भेजकर निवेदन है कि अभ्यर्थियों से ड्यूटी ज्वाइनिंग से पूर्व संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ पत्र पूर्ण भरवाने के पश्चात् नियमानुसार योग्य पाये जाने पर ही इनकी उपस्थिति रिपोर्ट लेंगे एवं इस कार्यालय को सूचित करायेगे। इनके बन्ध-पत्र पूर्ण करवावे तथा बन्ध-पत्रों को प्रमाणीकरण के पश्चात् इनकी निजी पत्रावली में रखा जाए। बन्ध-पत्र एवं शपथ-पत्र पूर्ण कर प्रस्तुत करने पर ही ज्वाइन कराने का श्रम करें।
7. उप विधि परामर्शी पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
8. प्रभारी, वरिष्ठता सैल पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
9. संबंधित अभ्यर्थी को बन्ध-पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप एवं ज्वाइनिंग नियमावली की प्रति भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प सहित नियत दिनांक 09.03.2015 को प्रातः 10 बजे को प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होंगे। महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज द्वारा इनके बन्ध-पत्र पर इनके हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाएंगे, प्रशिक्षण संबंधी अन्य व्यय (रूपये-3500/-) प्रशिक्षण संस्था में पृथक से जमा कराए जाएंगे।
10. ई.ओ.बी/ आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

महानिरीक्षक पुलिस,
मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।